International Research Journal of Humanities, Language and Literature
ISSN: (2394-1642)
Impact Factor 5.401 Volume 7, Issue 3, March 2020
Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
Website-www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

महिलाओं के विकास के लिए बनाये गये विशेष प्रावधान

Dr. Jasinta Minj

Assistant Professor

Political Science

Rajeev Gandhi Govt. P.G. College, Ambikapur, Surguja, C.G.

सार

भारत में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए अनेक विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना और उन्हें समाज में पुरुषों के समकक्ष दर्जा दिलाना है। बालिका शिक्षा, अर्थात् लड़कियों की शिक्षा, भारत जैसे विकासशील देश के लिए सर्वोपरि महत्व रखती है। शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का आधार है, और बालिका शिक्षा राष्ट्र निर्माण की एक मजबूत नींव के समान है। एक शिक्षित बालिका न केवल अपने भविष्य का निर्माण करती है बल्कि अपने परिवार और पूरे समाज को भी सशक्त बनाती है। शिक्षा के माध्यम से वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती है, अपने अधिकारों को समझ सकती है और बेहतर निर्णय ले सकती है। शिक्षित माताएं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और परवरिश देती हैं, जिससे अगली पीढ़ी का विकास भी सुनिश्चित होता है। दुर्भाग्य से, भारत में अभी भी बालिका शिक्षा की दर वांछित स्तर तक नहीं पहुंची है। सामाजिक कुरीतियों, गरीबी और लैंगिक भेदभाव जैसी कई समस्याएं बालिकाओं को स्कूल जाने से रोकती हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, छात्रवृत्तियां और बालिका छात्रावासों का निर्माण। साथ ही, समाज में जागरूकता फैलाकर बालिका शिक्षा के महत्व को समझाया जा रहा है। निष्कर्ष रूप में, बालिका शिक्षा राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। शिक्षित बालिकाएं सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं। हमें मिलकर बालिका शिक्षा में आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए और भारत को एक शिक्षित और समृद्ध राष्ट्र बनाने का प्रयास करना चाहिए।

© **Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)**
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

मुख्य शब्द

महिलाओं, विकास, प्रावधान

भूमिका

शिक्षा किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों के प्रति सचेत करती है और उसे अपने जीवन के लिए निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। शिक्षित बालिकाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं, जो उन्हें घरेलू हिंसा और बाल विवाह जैसे सामाजिक बुराइयों से बचाता है। शिक्षा उन्हें स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूक बनाती है, जिससे न केवल उनका बल्कि उनके परिवारों का भी जीवन स्तर बेहतर होता है। शिक्षित महिलाएँ अपने समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होती हैं। वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकती हैं, जो अगली पीढ़ी के समग्र विकास में योगदान देता है। शिक्षित महिलाएँ कार्यबल में शामिल होकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि महिला शिक्षा और आर्थिक विकास में सीधा संबंध है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे गरीबी, लैंगिक भेदभाव, और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून जैसे कार्यक्रम लागू किए गए हैं। साथ ही, समाज में जागरूकता फैलाना और महिला शिक्षा के लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करना भी आवश्यक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 देश के मूलभूत ढांचे की आधारशिला है। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी, एक मौलिक अधिकार प्रदान करता है - विधि के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण। दूसरे शब्दों में, यह अनुच्छेद कहता है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं।

संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 14: यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार देता है, लिंग भेदभाव के बिना।

अनुच्छेद 15: यह अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी अन्य आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 16: यह अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर प्रदान करता है, लिंग भेदभाव के बिना।

अनुच्छेद 21: यह अनुच्छेद जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, जिसमें महिलाओं के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है।

अनुच्छेद 23: यह अनुच्छेद मानव तस्करी और बलात्कार के खिलाफ महिलाओं की रक्षा करता है।

अनुच्छेद 39: यह अनुच्छेद समान वेतन के लिए समान काम का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 42: यह अनुच्छेद राज्य को बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है, जिसमें लड़कियों की शिक्षा भी शामिल है।

कानूनी प्रावधान:

- महिलाओं के खिलाफ हिंसा का प्रतिबंध अधिनियम, 2005: यह अधिनियम घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न और अन्य प्रकार की हिंसा से महिलाओं की रक्षा करता है।
- लैंगिक समानता अधिनियम, 2010: यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए समान अवसर और समान वेतन सुनिश्चित करता है।
- लड़कियों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009: यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु तक की सभी लड़कियों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
- महिला पंचायतों का अधिकार अधिनियम, 1993: यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है।

सरकारी योजनाएं:

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना: यह योजना लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: यह योजना महिला उद्यमियों को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करती है।
- उज्ज्वला योजना: यह योजना महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करती है।
- स्किल इंडिया मिशन: यह मिशन महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वे रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके

साहित्य की समीक्षा

"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना ने लड़कियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं और उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करने में मदद की है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए, सरकार, समुदाय और

व्यक्तियों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। यह योजना न केवल लड़कियों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक समृद्ध और समृद्ध भारत बनाने में योगदान देगा। [1]

अनुच्छेद 14 किसी भी व्यक्ति को जन्म, धर्म, लिंग, जाति या किसी अन्य आधार पर भेदभाव से बचाता है। इसका मतलब है कि कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होता है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। [2]

अनुच्छेद 14 यह नहीं कहता कि सभी को बिल्कुल एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कानून नाबालिगों और वयस्कों के लिए अलग-अलग प्रावधान रख सकता है। यह उचित वर्गीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ कानून तार्किक आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न नियम बना सकता है। लेकिन यह वर्गीकरण मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं हो सकता। [3]

भारतीय न्यायपालिका ने अनुच्छेद 14 की व्याख्या करते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। इन फैसलों ने गरीबी, लिंग और जाति जैसे आधारों पर भेदभाव को चुनौती देने में मदद की है। उदाहरण के लिए, समान वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए इस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया गया है। [4]

अनुच्छेद 14 की चुनौतियाँ भी हैं। सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ कानून के समक्ष वास्तविक समानता को प्राप्त करना कठिन बना देती हैं। गरीबों को कानूनी सहायता तक सीमित पहुंच हो सकती है, जबकि धनी लोग बेहतर वकीलों को नियुक्त कर सकते हैं। [5]

महिलाओं के विकास के लिए बनाये गये विशेष प्रावधान

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 समाज के समतामूलक ढांचे की आधारशिला है। यह अनुच्छेद राज्य और उसके नागरिकों को किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने सदियों से चली आ रही सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया।

अनुच्छेद 15 के दो खंड हैं। पहला खंड राज्य को किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करने से रोकता है। इसमें दुकानों और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश जैसी चीजें शामिल हैं। दूसरा खंड सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसमें महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण जैसी नीतियां शामिल हैं।

हालांकि, अनुच्छेद 15 एक आदर्श दस्तावेज है, लेकिन व्यवहार में इसे पूरी तरह से लागू करना अभी भी एक चुनौती है। जातिगत भेदभाव ग्रामीण भारत में व्याप्त है, और शहरी क्षेत्रों में भी सूक्ष्म रूप से मौजूद है। धार्मिक असहिष्णुता भी समय-समय पर सिर उठाती रहती है।

इस चुनौती से निपटने के लिए, सतर्क जागरूकता और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। शिक्षा और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देकर भेदभाव की जड़ों को खत्म करना जरूरी है। कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना और भेदभाव के मामलों में कठोर दंड देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष रूप में, अनुच्छेद 15 भारतीय समाज के समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह एक ऐसा भारत का निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त करता है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो। हालांकि, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और सतर्कता की आवश्यकता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 देश के नागरिकों को एक मौलिक अधिकार प्रदान करता है - सरकारी नौकरियों में समान अवसर का अधिकार। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि योग्यता और कौशल के अलावा किसी भी अन्य कारक, जैसे धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास स्थान को सरकारी पदों पर नियुक्ति या भर्ती के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता।

अनुच्छेद 16 भारत के संविधान के उन मूलभूत सिद्धांतों में से एक है जो देश के नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। यह योग्यता को ही सरकारी पदों पर चयन का आधार मानता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर व्यक्ति को अपने कौशल और ज्ञान के आधार पर सफलता प्राप्त करने का समान अवसर मिले। यह प्रावधान भाई-भतीजावाद और पक्षपात को खत्म करने का प्रयास करता है, जो योग्य उम्मीदवारों को अवसरों से वंचित कर सकते हैं।

हालाँकि, अनुच्छेद 16 में एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाया गया है। यह पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण नीति को लागू करने से सरकार को नहीं रोकता। अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि राज्य उन समुदायों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जैसे अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। यह संतुलन ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, जबकि साथ ही योग्यता के आधार पर अवसर प्रदान करने के मूल सिद्धांत को बनाए रखता है।

आजादी के बाद से दशकों बीत जाने के बाद भी, अनुच्छेद 16 प्रासंगिक बना हुआ है। यह सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करता है। निरंतर

जागरूकता और सख्त कार्यान्वयन के माध्यम से, यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि सरकारी सेवाओं में योग्यता ही सफलता का निर्धारण करे।

अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान के उन स्तंभों में से एक है जो देश के विकास और प्रगति को सुनिश्चित करता है। यह योग्यता को ही सरकारी नौकरियों में सफलता का मापदंड बनाकर सामाजिक न्याय और समान अवसरों को बढ़ावा देता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हमारे मौलिक अधिकारों में से सबसे महत्वपूर्ण है। यह "जीवन के अधिकार" और "व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा" की गारंटी देता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि किसी को भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।

यह अनुच्छेद न केवल भौतिक जीवन की रक्षा करता है, बल्कि यह गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। इसमें वह सब कुछ शामिल है जो जीवन को सार्थक बनाता है, जैसे - स्वतंत्र रूप से सांस लेने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, और यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार।

अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्याओं के माध्यम से, भारतीय न्यायपालिका ने कई महत्वपूर्ण अधिकारों को इसमें शामिल किया है। उदाहरण के लिए, इसमें पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, और वकील के बिना पूछताछ का अधिकार शामिल है। ये व्याख्याएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे को लगातार बढ़ा रही हैं और यह सुनिश्चित कर रही हैं कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अवसर मिले।

हालांकि, अनुच्छेद 21 एक पूर्ण अधिकार नहीं है। राज्य को कानून के माध्यम से जीवन और स्वतंत्रता को उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत जेल में बंद करना या सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम इस अनुच्छेद के उल्लंघन के रूप में नहीं देखे जाते हैं, बशर्ते वे उचित प्रक्रिया का पालन करते हों।

अनुच्छेद 21 भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। यह व्यक्तियों को राज्य के अत्याचार से बचाता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी के पास एक सार्थक और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर है। निरंतर व्याख्याओं और न्यायिक जांच के माध्यम से, यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित होता रहता है कि भारत के नागरिक स्वतंत्र और सशक्त बने रहें।

अनुच्छेद 21 भारतीयों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। यह न केवल भौतिक जीवन की रक्षा करता है बल्कि शिक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता जैसे अधिकारों को भी शामिल करता है। न्यायपालिका के

व्याख्यानों ने निजता और पर्यावरण जैसे अधिकारों को इसमें शामिल किया है। यह अनुच्छेद राज्य के अत्याचार से बचाता है और भारतीय लोकतंत्र का आधार है।

निष्कर्ष

महिलाओं के विकास के लिए बनाये गये विशेष प्रावधानों ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में पुरुषों के समकक्ष दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रावधानों के फलस्वरूप, महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हालांकि, अभी भी महिलाओं को लैंगिक भेदभाव, हिंसा और अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार, समाज और सभी व्यक्तियों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

(1) देसाई नीरा और गैत्रयी कृष्णराज वीमेन एण्ड सोसायटी इन इंडिया अजंत पब्लिकेशंस दिल्ली 2020, पृ. 46
(2) संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट वनडे वीमने: ट्रेएड्स एण्ड स्टेटिक्स (डीरीललली) (2019)
(3) पाण्डेय, डा. जयनारायण, भारत का संविधान, सेन्ट्रल ला एजेन्सी दिल्ली, 41 वाँ संस्करण 2018
(4) यादव राजाराम, भारतीय दंड संहिता, पंचम संस्करण 2019, सेन्ट्रल ला पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद
(5) आहूजा राम, क्राइम अगेनस्ट वुमेन, जयपुर रावत पब्लिकेशन्स, 2021
(6) रोजगार और निर्माण मार्च-2019
(7) महिलाओं से संबंधित विभिन्न समाचार पत्रों के आलेख